

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 159/2022

उन्वान

लक्ष्मणलाल ताबीयाड पिता श्री परतुजी ताबीयाड जाति भील निवासी दोलिया ओडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

1. कालिया पिता श्री परतु ताबीयाड जाति भील निवासी दोलिया ओडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
2. जोखी पत्नि श्री परतु ताबीयाड जाति भील निवासी दोलिया ओडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
3. मोहन पिता श्री परतु ताबीयाड जाति भील निवासी दोलिया ओडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा।
4. तहसीलदार अरथुना जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136- भू-राजस्व अधिनियम  
निर्णय

दिनांक: 06.8.2024


संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 01, 02 एवं 03 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 135 (नया) 30 (पुराना) वाके गांव ओडा तहसील अरथुना जिला बांसवाडा में स्थित है। जिसके सर्वे नम्बर 285/2 रकबा 0.11 हे०, सर्वे नम्बर 293/2 रकबा 0.20 हे०, सर्वे नम्बर 323 रकबा 0.22 हे०, सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.28 हे०, सर्वे नम्बर 342 रकबा 0.10 हे०, सर्वे नम्बर 348 रकबा 0.19 हे०, सर्वे नम्बर 351 रकबा 0.12 हे०, सर्वे नम्बर 352 रकबा 0.22 हे०, सर्वे नम्बर 354 रकबा 0.26 हे०, सर्वे नम्बर 355 रकबा 0.03 हे०, सर्वे नम्बर 359 रकबा 0.11 हे०, सर्वे नम्बर 360 रकबा 0.12 हे०, सर्वे नम्बर 361 रकबा 0.17 हे०, सर्वे नम्बर 362 रकबा 0.13 हे०, सर्वे नम्बर 490 रकबा 0.10 हे०, सर्वे नम्बर 491 रकबा 0.16 हे०, सर्वे नम्बर 492 रकबा 0.01 हे०, सर्वे नम्बर 493 रकबा 0.09 हे०, सर्वे नम्बर 503/1678 रकबा 0.05 हे०, सर्वे नम्बर 727/2 रकबा 0.10 हे०, सर्वे नम्बर 731 रकबा 0.14 हे० कुल कित्ता 21 रकबा 2.91 हे० भूमि स्थित है। प्रार्थी को बोल चाल की भाषा में घर पर भेमा पिता परतु के नाम से पुकारा जाता है, जिस कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 01, 02, 03 की उक्त संयुक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम भेमा पिता परतु अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम लक्ष्मणलाल ताबीयाड पिता परतुजी ताबीयाड है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, मतदाता पहचान, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड और अन्य समस्त दस्तावेजों में भी प्रार्थी का वास्तविक नाम लक्ष्मणलाल ताबीयाड पिता श्री परतुजी ताबीयाड ही अंकित है। उक्त त्रुटी की वजह से रेकार्ड में लक्ष्मणलाल ताबीयाड पिता परतुजी ताबीयाड के स्थान पर भेमा पिता परतु अंकित कर देने से प्रार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से उक्त राजस्व त्रुटी को दुरुस्त करना आवश्यक है। अप्रार्थी नम्बर 01, 02 एवं 03 उक्त खाते के संयुक्त खातेदार है जिस कारण से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों से कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह कि अप्रार्थी नम्बर 04 राजस्व रेकार्ड का संधारक है और प्रार्थी ने कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 01, 02, 03 के संयुक्त खाते के राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटी को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रार्थना-पत्र 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ।

उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाडा

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री मोहित त्रिवेदी, अभिभाषक का वकालतनाम पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण में भूमिधारी, तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम भेमा के स्थान पर लक्ष्मणलाल किया जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, राजस्व अभिलेख एवं लक्ष्मणलाल ताबियाड के पेन कार्ड, निर्वाचन पहचान-पत्र, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति, तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं प्रार्थी के अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पटवार हल्का ओड़ा के मौजा ओड़ा के खाता संख्या 135 (नया) 30 (पुराना) के कुल कित्ता 21 रकबा 2.91 हे०, भूमि में अंकित भेमा के स्थान पर लक्ष्मणलाल बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ०६.8.2024 को सुनाया गया।

  
(अंजु शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

6.8.24

पत्रावली पैरा 2 की व्यवस्था उपस्थित। पत्रावली  
 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चार्ज की  
 ओर से प्रस्ताव चार्ज फॉर ए. डी. ए. रिपोर्ट का  
 अवलोकन किया जाकर निष्पत्ति पृथक से जारी कर  
 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केसक सुमाट  
 काट दारिद्र्य हटाने के लिए।

उपस्थित अधिकारी  
 गंभी, जिला बांगवाडा